संख्या-14/2026/I/1266086/2026/003-77-3002-003-23-2023

प्रेषक,

निर्मेष कुमार शुक्ल,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पिकप भवन,
गोमती नगर लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 13 मार्च, 2026

विषय:- डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर, चित्रकूट नोड की आन्तरिक सड़कों एवं जल निकासी के निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा के पत्रांक 2194/यूपीडा/डिफेन्स कॉरिडोर/लेखा दिनांक 23.01.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर, चित्रकूट नोड की आन्तरिक सड़कों एवं जल निकासी के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में तृतीय किश्त के रूप में रू0 1055.40 लाख की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित विवरण एवं शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि रू0 लाख में)

जनपद	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	प्रथम किश्त की धनराशि	द्वितीय किश्त की धनराशि	तृतीय किश्त की धनराशि
चित्रकूट	डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कारीडोर, चित्रकूट नोड के अन्तर्गत जनपद चित्रकूट में आन्तरिक सड़कों एवं जल निकासी के निर्माण का कार्य।	3517.98	1231.29	1231.29	1055.40

(1) धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।

(2) स्वीकृति धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 व दिनांक 19.09.2023 तथा अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) यूपीडा द्वारा उक्त परियोजना एवं वित्तीय स्वीकृति पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे।

(5) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए यूपीडा उत्तरदायी होंगे।

(6) आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) मूल वित्तीय स्वीकृति शासनादेश दिनांक 13.02.2024 में दी गयी शर्ते यथावत रहेंगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 10,55,40,000 (रुपये दस करोड़ पचपन लाख चालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025 - 26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 007 **लेखा शीर्षक** 5054033370800 बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस - वे के साथ डिफेन्स कॉरीडोर परियोजना **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(निर्मेष कुमार शुक्ल)
संयुक्त सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
4. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
7.निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
9.वित्त नियंत्रक, यूपीडा, पर्यटन भवन,गोमती नगर लखनऊ।
10. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
11.गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(निर्मेष कुमार शुक्ल)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in